

उपनाम

श्री लालजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

—: वा

बनाम

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

श्री बंदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

—: प्रतिवादी

कानून अन्तर्गत धारा 188, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 27/2/2018

श्री लालजी ने तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का सर्वे नम्बर 390 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1874 रकबा 0.38 है० भूमि वाके ग्राम ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। जिस पर वादी वर्षों से काबिज है। वादी उक्त सर्वे नम्बर पर पिछले करीब 52 वर्षों से काश्त कर रहा है। वादी उक्त सर्वे नम्बर पर पिछले करीब 52 वर्षों से काश्त कर रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई दावा नहीं होने बताया। वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 188, 209 आर.टी.एक प्रस्तुत किया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम से प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर दिनांक 16.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान में चिन्हित किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण जवाब प्रस्तुत नही करे। वादी के उपस्थित हुये एवं न ही उनकी ओर से जवाब पेश हुआ। जिस पर दिनांक 9.8.2018 को प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण जवाब प्रस्तुत नही करे।

तथा वादी अभिभाषक की बहस पर मनन करने पर पाया गया कि लसाड़ा की खाता संख्या 434 (नया) 390 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1874 रकबा 0.38 है0 नूनि वादी वासुदेव पिता लालजी के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज मौजा ओड़ा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 खातेदार वासुदेव पिता लालजी बाह्यण प्रदर्श-1, जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 खातेदार शंकरलाल के फौत होने पर वारिसान से हंसमुख पिता शंकरलाल बाह्यण प्रदर्श-2, जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 खातेदार अनिल पिता लालजी बाह्यण प्रदर्श-3, नक्षा ट्रेस प्रदर्श-4 प्रदर्शित करवाये गये।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को पाबन्द किया जाता है कि मौजा ओड़ा पटवार हल्का लसाड़ा की खाता संख्या 434 (नया) 390 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1874 रकबा 0.38 है0 भूमि में वादी के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, गढ़ी

आदेश

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को पाबन्द किया जाता है कि मौजा ओड़ा पटवार हल्का लसाड़ा की खाता संख्या 434 (नया) 390 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1874 रकबा 0.38 है0 भूमि में वादी के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर डिक्री पृथक से जाकर तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/2/2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, गढ़ी

उनवान

वासुदेव पिता स्व श्री लालजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. धनजी पिता बदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
2. लालजी पिता बदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
3. गौतम पिता बदिया जाति भील निवासी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
4. मुन्ना पिता धन्ना जाति भील निवासी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
5. श्रीमति धापु बेवा भोगजी जाति भील निवासी ओडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
6. अमृतलाल पिता धुलजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
7. श्रीमति मोती पत्नि अमृतलाल गामोट जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
8. नारायण पिता धुजजी गामोट जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
9. श्रीमति जानकी पत्नि नारायण गामोट जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीग

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक: 27/2/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पैश होकर प्रतिवादी संख्या लगायत 9 को पाबन्द किया जाता है कि मौजा ओडा पटवार हल्का लसाड़ा की खाता संख्या 434 (नया) 39 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1874 रकबा 0.38 है० भूमि में वादी के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर डिक् नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 27-2-2018 को जारी की गई।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	